मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 565/ 516/2010/बजट–1/चार भोपाल, दिनांक 08 /06/2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स
मध्य प्रदेश

विषय – आयोजना मद मे पुनर्विर्नियोजन/पुनर्वितरण

संदर्भ – वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 442/516/बजट–1/2010 दिनांक 30/04/2010

–00–

संदर्भित ज्ञाप से आयोजना मद अन्तर्गत पुनर्विर्नियोजन/पुनर्वितरण के निर्देश में व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित संशोधन किया जाते हैं–

2. ज्ञाप की कंडिका–2 में अंकित 'प्रपत्र–1' व कंडिका–3 में अंकित 'प्रपत्र–2' के स्थान पर क्रमशः 'प्रपत्र–2' एवं 'प्रपत्र–1' पढ़ा जावे। पुनर्विर्नियोजन हेतु संशोधित प्रपत्र–1 इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

3. पुनर्वितरण के पत्रक में पुनर्वितरण करते समय सर्वप्रथम अंतिम त्रैमास से कमी की जाये, उसकी राशि समाप्त हो जाने पर तृतीय त्रैमास से तथा इस प्रकार पूर्ववर्ती त्रैमासों में आवश्यकतानुसार कमी की जावे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(अमित राठौर)
संचालक, बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 566/ 516/2010/बजट–1/चार भोपाल, दिनांक 08 /06/2010

प्रतिलिपि –

1. सचिव/महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश/सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर/नियंत्रक, शासकीय मुदण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल/ अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण/अभिलेखागार), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्राालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
3. समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग।
4. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
6. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 20......–20......के लिये आयोजना मद में पुनर्विर्नियोजन पत्रक

बजट नियंत्रण अधिकारी ————————

क्रमांक भोपाल, दिनांक

वित्त विभाग की सहमति क्रमांक दिनांक

(राशि रूपयों में)

उन शीर्षों का बजट अनुमान जो बढाया जाना प्रस्तावित है					रिमार्क (बजट अनुमान में वृद्धि का कारण)	उन शीर्षों का बजट अनुमान जो कम किया जाना प्रस्तावित है									पुनर्विर्नि–योजन हेतु प्रस्तावित राशि
बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान अनुपूरक एवं पुनर्विर्नियोजन को शामिल करते हुए	अद्यतन व्यय	वर्षान्त तक कुल अनुमानित व्यय	पुनर्विनियोजन हेतु चाही गई राशि (4–2)		बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान अनुपूरक एवं पुनर्विर्नियोजन को शामिल करते हुए	वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाहियों का कुल बजट प्रावधान *	केवल वर्तमान तिमाही में किया गया व्यय *	अद्यतन व्यय	पुनर्विर्नियोजन हेतु उपलब्ध राशि **		वर्षान्त तक कुल अनुमानित व्यय	कमी का कारण	
											तृतीय त्रैमास तक के लिये (8-9-10)	केवल चतुर्थ त्रैमास के लिये (8-11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मांग संख्या – मुख्य लेखा शीर्ष– उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष– योजना शीर्ष– सेगमेंट– आयोजना/ आयोजनेतर– उद्‌देश्य शीर्ष – विस्तृत शीर्ष – मतदेय/ भारित–						मांग संख्या – मुख्य लेखा शीर्ष– उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष– योजना शीर्ष– सेगमेंट– आयोजना/ आयोजनेतर– उद्‌देश्य शीर्ष – विस्तृत शीर्ष – मतदेय/भारित–									

टीप– कॉलम नं. 4 के कारण बढ़ी राशि एवं कॉलम नं. 8 के कारण की गई कमी के कारण त्रैमासिक आवंटन का पुनर्वितरण पत्रक – 2 भी संलग्न करें।

* प्रथम तिमाही के दौरान कॉलम क्रमांक 9 शून्य होगा।

** प्रथम तीन त्रैमास के लिए कॉलम 12 तथा चतुर्थ त्रैमास के लिये कॉलम 13 भरा जावे।

बजट नियंत्रण अधिकारी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक: 452/आर. 516/चार/बजट–1/2010, भोपाल, दिनांक: 30 अप्रैल, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषय:– आयोजना मद में पुनर्विनियोजन/पुनर्वितरण ।

संदर्भ:– म0 प्र0 शासन वित्त विभाग के परिपत्र
(i) क्रमांक–948/आर. 247/चार/ब–1/06, भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर, 2006
(ii) क्रमांक–288/आर. 707/चार/ब–1/07, भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2007 ।
(iii) क्रमांक–867/आर. 840/चार/ब–1/08, भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 08

–::000::–

संदर्भित परिपत्रों द्वारा पुनर्विनियोजन एवं बचतों के समर्पण के अधिकार प्रशासकीय विभागों को प्रत्यायोजित किये गये हैं ।

2/ वित्तीय वर्ष 2010–11 से आयोजना बजट आवंटन दिये जाने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है तथा अब प्रत्येक आयोजनागत योजना में त्रैमासिक बजट आवंटन दिया जाना हैं । किसी त्रैमास में विभाग द्वारा निर्धारित त्रैमासिक आवंटन से अधिक राशि आवश्यक होने पर आगामी त्रैमासिक आवंटनों की सीमा में से (पुनर्वितरण) वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर अथवा पुनर्विनियोजन की कार्यवाही कर वांछित बजट आवंटन को कोषालयीन कम्प्यूटर सर्वर में इन्द्राज किया जा सकेगा (संलग्न प्रपत्र–1) ।

3/ कतिपय लेखा शीर्षो में वार्षिक बजट प्रावधान से अधिक राशि की आवश्यकता होने पर पुनर्विनियोजन की कार्रवाई करनी होती हैं । आयोजना मद में जिस भी तिमाही में पुनर्विनियोजन प्रस्तावित किया जा रहा है, उसके लिए पूर्व की तिमाहियों में आवंटित राशि उपलब्ध नहीं रहेगी परन्तु प्रथम तीन त्रैमासों की बचत राशि विभागों की आवश्यकता अनुसार चतुर्थ त्रैमास में व्यय हेतु उपलब्ध कराई जा सकेगी । तदनुसार पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव (संलग्न प्रपत्र–2 में) विभाग द्वारा तैयार कर भेजे जायेंगे ।

उपरोक्त त्रैमासिक आधार पर आवंटन दिये जाने के कारण संदर्भित पत्रों में आयोजना मद में प्रदत्त पुनर्विनियोजन अधिकार एतद् द्वारा संशोधित समझे जायेगें । आयोजनेतर मद हेतु पुनर्विनियोजन के लिए संदर्भित परिपत्र पूर्वानुसार ही रहेंगे ।

यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।

संलग्नः—प्रपत्र 1 एवं 2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

कमांकः 443/आर. 516/चार/बजट–1/2010, भोपाल, दिनांकः 30अप्रैल,2010

प्रतिलिपिः—

(1) सचिव/महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश/सचिव, लोक सेवा अयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर/नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेख सामग्री, मध्य प्रदेश,भोपाल /अवर सचिव (स्थापना) (अधीक्षण) (अभिलेखाकार) मध्य प्रदेश शासन/सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल/लेखाधिकारी मध्य प्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
(2) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
(3) समस्त बजट शाखाएँ वित्त विभाग, विभागो से प्राप्त प्रस्ताव के स्वीकृत पुनर्वितरण /पुनर्विनियोजन की सूचना बजट शाखाओं द्वारा संबंधित विभागों एवं आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर इन्द्राज करने हेतु पत्र द्वारा सूचित किये जाने हेतु अग्रेषित
(4) महालेखाकार, मध्य प्रदेश ग्वालियर /भोपाल ।
(5) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर ।
(6) समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश ।

की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित ।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रपत्र –1

आयोजना मद में पुनर्विर्नियोजन पत्रक

बजट नियंत्रण अधिकारी ——————

क्रमांक भोपाल, दिनांक

वित्त विभाग की सहमति क्रमांक दिनांक

(राशि रूपयों में)

उन शीर्षों का बजट अनुमान जो बढाया जाना प्रस्तावित है					रिमार्क (बजट अनुमान में वृद्धि का कारण)	उन शीर्षों का बजट अनुमान जो कम किया जाना प्रस्तावित है							
बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान (अनुपूरक अनुमान / पुनर्विनियोजन को शामिल करते हुए)	अद्यतन व्यय	वर्षान्त तक कुल अनुमानित व्यय	पुनर्विनियोजन हेतु चाही गई राशि (4-2)		बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान (अनुपूरक अनुमान/ पुनर्विनियोजन को शामिल करते हुए)	बजट शीर्ष में चालू तिमाही (-*-) तक दिया गया बजट आवंटन	पिछली तिमाही तक किया गया व्यय	चालू तिमाही में किया गया व्यय	पुनर्विर्नियोजन हेतु उपलब्ध राशि		कमी का कारण
											तृतीय त्रैमास के लिये (8-9-11)	केवल चतुर्थ त्रैमास के लिये (8-10-11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मांग संख्या – मुख्य लेखा शीर्ष– उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष– योजना शीर्ष– सेगमेंट– आयोजना/ आयोजनेतर– उद्देश्य शीर्ष – विस्तृत शीर्ष – मतदेय/ भारित–						मांग संख्या – मुख्य लेखा शीर्ष– उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष– योजना शीर्ष– सेगमेंट– आयोजना/ आयोजनेतर– उद्देश्य शीर्ष – विस्तृत शीर्ष – मतदेय/ भारित–							

टीप– कॉलम नं. 5 अनुसार बढ़ी राशि एवं कॉलम नं. 12/13 अनुसार कम की गई राशि के त्रैमासिक आवंटन का पुनर्वितरण पत्रक – 2 संलग्न है।

* त्रैमास अंकित किये जायें

बजट नियंत्रण अधिकारी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रपत्र –2

त्रैमासिक कार्ययोजना का पुनर्वितरण पत्रक

बजट नियंत्रण अधिकारी ——————

क्रमांक भोपाल, दिनांक

वित्त विभाग की सहमति क्रमांक दिनांक

(राशि रूपयों में)

बजट शीर्ष	वर्ष 2010–11 में प्रावधान (राशि)				वर्तमान वितरण (राशि)				त्रैमास में वृद्धि की गई राशि				त्रैमास में कम की गई राशि				पुनर्वितरण के पश्चात पुनरीक्षित त्रैमासिक आवंटन की स्थिति (राशि)					रिमार्क
	बजट अनुमान	अनुपूरक अनुमान	पुनर्वि–नियोजन द्वारा बढ़ाई/कम की गई राशि	कुल प्रावधान	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	योग *	
																	(6+10-14)	(7+11-15)	(8+12-16)	(9+13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

* योग कॉलम क्रमांक 5 के बराबर होगा।

बजट नियंत्रण अधिकारी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 440/1133/चार/बी– 1/2010 भोपाल, दिनांक 30 / 04/2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय – वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये आयोजना मद के अन्तर्गत कार्ययोजना एवं बजट आवंटन।
संदर्भ – वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 233/1133/2009/चार/बी–1 दिनांक 13/03/2010 एवं 270/चार/ब–1/10 दिनांक 26/03/2010.

–00–

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा वर्ष 2010–11 के लिये कार्ययोजना अनुसार त्रैमासिक बजट आवंटन की व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभागवार व्यय की सतत मॉनीटरिंग की जा रही है। कई योजनाओं में राज्य के बजट के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों (ऑफ बजट) से सीधे राशि प्राप्त हो रही है। अतः व्यय संबंधी सम्पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र–1 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वित्त विभाग को भेजने का कष्ट करें।

उपरोक्त में ऑफ बजट से संबंधित आकडों का संकलन विभाग अपने स्तर पर करे। राज्य शासन के बजट से किया गया व्यय आयुक्त कोष एवं लेखा की वेबसाइट www.mptreasury.org पर नियमित रूप से उपलब्ध होगा।
संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(जी. पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. 441/1133/चार/बी–1 /2010 भोपाल, दिनांक 30 / 04 /2010
प्रतिलिपि –

1. आयुक्त कोष एवं लेखा, म.प्र., भोपाल, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतुं भेज कर अनुरोध है कि विभागों से संबंधित प्रगामी व्यय के आंकडे वेबसाइट के माध्यम से नियमित रूप से यथासमय उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चत करें।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रपत्र–1(अ)

प्रत्येक मास की समाप्ति पर वित्त विभाग को भेजा जाने वाला प्रपत्र जो आयोजनागत व्ययों की स्थिति दर्शाता है।

(राशि लाख रूपयों में)

(दिनांक .... की स्थिति में)

बजट शीर्ष	वर्ष 2010–11 में प्रावधानित राशि					पिछले माह तक कुल व्यय		वर्तमान माह में दिनांक .... तक कुल व्यय		वर्तमान माह तक अद्यतन कुल व्यय	
	बजट अनुमान	अनुपूरक अनुमान	पुनर्वि–नियोजन द्वारा बढ़ाई/कम की गई राशि (+/–)	कुल प्रावधान	बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली ऑफ बजट राशि *	राज्य के बजट से व्यय	ऑफ बजट से व्यय	राज्य के बजट से व्यय	ऑफ बजट से व्यय	राज्य के बजट से व्यय	ऑफ बजट से व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- ऑफ बजट की राशि राज्य के विभागों को सीधे केन्द्र शासन द्वारा अन्तरित की जाती है एवं ये राशियाँ राज्य के बजट के माध्यम से आवंटित नहीं की जाती है। विभाग में विभाग की संस्थाएँ , सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि भी शामिल हैं।

प्रपत्र–1(ब)

भारत सरकार से प्राप्त राशियाँ

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र क्षेत्र/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि	अद्यतन व्यय के अनुसार केन्द्र क्षेत्र/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से प्राप्त योग्य राशि	भारत सरकार से केन्द्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत अदिनांक तक प्राप्त राशि	वित्तीय वर्ष के दौरान ऑफ बजट योजनाओं के के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि	अद्यतन व्यय के अनुसार ऑफ बजट योजनाओं से प्राप्त योग्य राशि	ऑफ बजट अन्तर्गत अदिनांक तक प्राप्त राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8